



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 07.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना पलिया पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त दीपचन्द्र पुत्र श्रीराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 1167/21 धारा 128 सी0आर0पी0सी0 में वारंटी अभियुक्त दीपचन्द्र पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम कोठिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपचन्द्र पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम कोठिया थाना पलिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हनुमन्त लाल तिवारी, थाना पलिया जनपद खीरी
2. का0 केशव गंगवार
3. का0 देवेन्द्र प्रसाद

थाना निघासन पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शहबान अली पुत्र रियाज अली को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.2022 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 453/22 धारा 2(ख)(1)(2)/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के वांछित अभियुक्त शहबान अली पुत्र रियाज अली निवासी सोठियाना मजरा दुलही कोतवाली निघासन जनपद खीरी को ग्राम लखहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शहबान अली पुत्र रियाज अली के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर थाना निघासन पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शहबान अली पुत्र रियाज अली निवासी सोठियाना मजरा दुलही कोतवाली निघासन जनपद खीरी

बरामदगी विवरण -

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 158/22 धारा 420/392/411 भा0दं0वि0 व 66सी/66डी आई0टी0 एक्ट थाना निघासन जनपद खीरी
2. मु0अ0सं0 453/22 धारा 2(ख)(1)(2)/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना निघासन जनपद खीरी
3. मु0अ0सं0 460/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 हर्षित कुमार सिंह, (चौकी प्रभारी ढखेरवा) कोतवाली निघासन
2. का0 नरेश गंगवार
3. का0 जयचन्द

थाना निघासन पुलिस द्वारा, नकली सोने की ठगी करने वाले अभियुक्त जाबिर पुत्र छोटे को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.2022 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 411/22 धारा 420 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त जाबिर पुत्र छोटे निवासी ग्राम गुलरा पठाननपुरवा मजरा बनकटी थाना सुजौली जनपद बहराइच को गिरजापुरी बैराज से गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.05.2022 को वादी सुशील कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पुरैना कोतवाली निघासन जनपद खीरी की तहरीर दी की अभियुक्तगण द्वारा खुदाई में निकले नकली 01 किलो के सोने का झाँसा देकर बेचने व वादी के साथ ठगी हेने के सम्बन्ध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0 411/22 धारा 419/420 भा0दं0वि0 बनाम अतहर व जाबिर पता अज्ञात पंजीकृत कराया था। दिनांक 24.05.2022 को अतहर पुत्र अनवर निवासी ग्राम चैहलुआ कोतवाली सुजौली जनपद बहराइच को जिला कारागर भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश सरोज, थाना निघासन जनपद खीरी
2. का0 सुरेन्द्र कुमना
3. का0 कृष्ण कुमार
4. का0 ओमकार

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त राजकमल पुत्र रामलोटन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा अ0सं0 187/22 धारा 354क/323/504 भादवि0 व 3(1)द,ध/3(2)5ए एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त राजकमल पुत्र रामलोटन निवासी ग्राम बरखेरिया जाट थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजकमल पुत्र रामलोटन निवासी ग्राम बरखेरिया जाट थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राहुल सिंह, चौकी प्रभारी उचौलिया थाना पसगवां जनपद खीरी
2. हे0का0 जयप्रकाश पटेल
3. का0 प्रमोद

थाना मितौली पुलिस द्वारा, शांतिभंग में निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 06 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.22 को थाना मितौली पुलिस द्वारा शान्तिभंग में निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी 06 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. संदीप पुत्र लल्लू राम निवासी छेदीपुर थाना मितौली खीरी
2. मोहम्मद अहसान पुत्र अनु सिद्दीकी निवासी कस्ता कॉलोनी थाना मितौली जनपद खीरी
3. दुर्गेश पुत्र जयशंकर निवासी रौतापुर थाना मितौली जनपद खीरी
4. अकील पुत्र मोहम्मद आसीन निवासी कस्ता कॉलोनी थाना मितौली जनपद खीरी
5. नेतराम पुत्र दाताराम निवासी रौतापुर थाना मितौली जनपद खीरी
6. हरीराम पुत्र लल्लू राम निवासी छेदी पुर थाना मितौली जनपद खीरी

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए
अभि० मोहन पुत्र शम्भूदयाल को 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल व 02 अदद
चोरी के एन्ड्रायड फोन सहित गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.22 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 614/2022 धारा 379 भा०द०वि० में वांछित अभियुक्त मोहन पुत्र शम्भूदयाल निवासी ग्राम महेवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गस्त व चैकिंग के दौरान वहद ग्राम बनवारीपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल एच०एफ० डिलक्स बिना नम्बर प्लेट व 02 अदद एनड्रायड मोबाइल बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 622/2022 धारा 41 सीआरपीसी व 411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मोहन पुत्र शम्भूदयाल निवासी ग्राम महेवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद मोटर साइकिल एच०एफ०डिलक्स चेचिस नम्बर MBLHA10A3EHD28774

02 अदद एन्ड्रायड फोन:- रेडमी व रियल मी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ०नि० श्री सतीश द्विवेदी , थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

2.हे०कां० राम विशाल वर्मा

3.कां० दीपक कुमार

थाना खीरी पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त राजू पुत्र सलीम को 01 अदद चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.2022 को थाना खीरी पुलिस द्वारा अ0सं0 250/22 धारा 380/411 भादवि में वांछित अभियुक्त राजू पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला तबेला थाना व जनपद खीरी के मोहल्ला कटरा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजू पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला तबेला थाना व जनपद खीरी

बरामदी का विवरण-

01 अदद मोबाइल रेडमी नोट

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र हरचन्द सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 06.06.2022 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र हरचन्द सिंह के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 166/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

धर्म सिंह पुत्र हरचन्द सिंह निवासी धर्माखेड़ा थाना मैगलगंज जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

थाना फरधान पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र हरिसिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.06.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 927/20 धारा 128 सी0आर0पी0सी0 में वारंटी अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम पिपरिया अन्हू थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अतुल सिंह पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम पिपरिया अन्हू थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनूप मिश्रा, थाना फरधान जनपद खीरी
2. का0 धर्मेन्द्र
3. का0 अनुपम

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त विक्रम पुत्र जीत बहादुर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 06.06.2022 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्रम पुत्र जीत बहादुर के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना सम्पूर्णानगर पर मु0अ0सं0 130/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विक्रम पुत्र जीत बहादुर निवासी ग्राम रानीनगर थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध बंदूक व कारतूस बरामद कर अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सोहनलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 06.06.2022 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सोहनलाल के पास से 01 अदद एक नाली देशी बंदूक 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 619/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

महेश कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी बड़ागांव थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद एक नाली बंदूक 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 09 पत्ते अल्प्रोजोलम टेबलेट बरामद करके अभियुक्त बब्बू उर्फ बब्बन को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 09 पत्ते अल्प्रोजोलम टेबलेट बरामद करके अभियुक्त बब्बू उर्फ बब्बन निवासी रंगीलानगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 616/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

बब्बू उर्फ बब्बन निवासी रंगीलानगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 10 पत्ते अल्प्रोजोलम टेबलेट बरामद करके अभियुक्त राम किशोर विश्वकर्मा पुत्र ओमकार को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 10 पत्ते अल्प्रोजोलम टेबलेट बरामद करके अभियुक्त रामकिशोर विश्वकर्मा पुत्र ओमकार निवासी नईबस्ती थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 617/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामकिशोर विश्वकर्मा पुत्र ओमकार निवासी नईबस्ती थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना भीरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212/22 धारा 354/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त केशवराम पुत्र रतन कुमार निवासी बस्टोली थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 127/22 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त रवि अहमद पुत्र मोइउद्दीन निवासी पठानपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा, अ0सं0 927/20 धारा 128 दं0प्र0सं0 में वारण्टी अभियुक्त अतुल पुत्र हरी सिंह नि0 पिपराखण्ड थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 640/10 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त शत्रोहन पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0 दरेरीपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ0सं0 443/18 धारा 354/452/504 भादवि में वारण्टी अभियुक्त छोटेलाल पुत्र कुन्नुलाल नि0 पिपरी थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 293 लीटर अवैध शराब बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **293 लीटर अवैध** कच्ची शराब बरामद कर **17 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **17 अभियोग** पंजीकृत किए गए।